Hindi

INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION

NEW SOUTH WALES

विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर (गवाह समन्वयक अधिकारी)

विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर कौन होता है?

NSW Independent Commission Against Corruption (भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्यू साउथ वेल्ज़ के स्वतंत्र आयोग) ("आयोग") में अब एक विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर होता है। विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर का काम होता है गवाहों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर एक योग्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होता है जिसे अपराध के पीड़ितों, घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव वध/हत्या के मुकदमों जैसे मामलों में शामिल गवाहों और परिवार के सदस्यों के साथ काम करने का अनुभव होता है।

विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर एक गवाह के रूप में मेरी किस प्रकार सहायता कर सकता है?

गवाहों को सहायता देने के लिए, विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर को आयोग के अधिकारियों के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होते हैं। विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर गवाहों से संपर्क कर उनकी सकुशलता का आकलन करेगा तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सहभागिता योजना तैयार करेगा। विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर सबूतों पर चर्चा नहीं करता, न ही कानूनी सलाह देता है, और न ही गवाहों को नियमित रूप से परामर्श प्रदान करता है।

एक गवाह के रूप में मुझे कैसा महसूस करना चाहिए?

एक गवाह के रूप में आयोग के अधिकारियों द्वारा आपके साथ साक्षात्कार किए जाने या सम्मन (summons) प्राप्त करने की वजह से आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। गवाहों ने निम्नलिखित सामान्य प्रभावों का वर्णन किया है:

- तनावग्रस्त और चिंतित होना
- सोने में कठिनाइयाँ होना
- ध्यान केन्द्रित करने में परेशानी होना।

एक गवाह के रूप में मुझे कौन सी सहायताएं और संसाधन प्राप्त हो सकते हैं?

विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर गवाहों को बाहरी सहायता सेवाओं के लिए रैफ़र कर सकता है जो गवाहों की मनोवैज्ञानिक सकुशलता संबंधी आवश्यकताओं में उनकी सहायता कर सकती हैं। यह सहायता सेवा, परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए गवाह के साथ मिलने का समय निश्चित करने की व्यवस्था करेगी। आयोग अधिकतम छह सहायता सत्रों के लिए भुगतान करेगा तथा केस-दर-केस के आधार पर, अतिरिक्त सत्रों के लिए भी वित्तपोषण कर सकता है।

अन्य सहायता प्रदाताओं में शामिल हैं:

लाइफ़लाइन (Lifeline): 13 11 14

बिऑन्ड ब्लू (Beyond Blue): 1300 224 636

विटनेस लिएज़ोन और सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विटनेस लिएज़ोन ऑफ़िसर को (02) 8281-5999 पर फ़ोन करें या witnessliaison@icac.nsw.gov.au पर ईमेल करें।